

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 86 / 2026

- 1 कीरतारा राम पुत्र हजारीराम | जाति जाट निवासीयान चक 4 एनडीआर ढाणी
- 2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हजारीराम | तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

- 1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 15/5/26.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं0 4 एनडीआर के खाता सं0 23/76 में वादी सं0 1 का नाम करतार पुत्र हजारीराम व वादी सं0 2 का नाम सुरेन्द्र पुत्र हजारीराम के स्थान पर नाम दुरुस्त कर वादी सं0 1 का सही नाम कीरतारा राम पुत्र हजारीराम व वादी सं0 2 का सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र हजारीराम किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि वादीगण पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।